Locke's Liberalism

पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के इतिहास में Locke की देन महान है। यह ठीक है कि लॉक में हॉब्स की तरह प्रखर तर्क शक्ति का अभाव पाया जाता है, इसमें Plato की भावनाओं की अनुपम उड़ान भी देखने को नहीं मिलता है, किन्तु सामान्य ज्ञान में उसका कोई जोड़ा नहीं है। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में उदारवादी विचारधारा का वह प्रवर्तक ही है। प्राकृतिक अवस्था से लेकर राज्य की उत्पत्ति एवं सरकार पर लगायी जाने वाली सीमाएँ - सम्पत्ति, शक्ति पृथक्करण आदि सभी क्षेत्रों में उनके उदारवाद के दर्शन होते हैं। व्यक्ति को अधिकार देकर तो उसने निरंकुशतावादी विचारों को एक नयी मोड़ ही दे दी।

सर्वप्रथम मानव स्वभाव के प्रश्न पर ही लॉक का विचार उदारवादी है। जबकि हॉब्स का मनुष्य कोरा जंगली पशु है, लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। हॉब्स का मनुष्य भौतिकवादी, घोर स्वार्थी तथा झगड़ालू है तो लॉक का मनुष्य कर्तव्य परायण, परमार्थी तथा शांतिप्रिय है। इस प्रकार लॉक मनुष्य वास्तव में एक अच्छा प्राणी है।

जिस प्रकार मानव-स्वभाव के चित्रण में लॉक एक उदारवादी के समान दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी वह एक उदारवादी की भाँति ही करता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था हॉब्स से भिन्न है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शान्ति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा संरक्षण था। प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत रहते थे। लोगों को जान-जायदाद एवं स्वतंत्रता का अधिकार था। तर्क सभी लोगों को सूचित करता था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान हैं तथा किसी को भी दूसरे के प्राण, स्वतंत्रता और सम्पत्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। लॉक की यह धारणा उसे एक उदारवादी के रूप में प्रतिष्ठित करती है।

प्राकृतिक अवस्था के इस स्वर्णिम चित्रण के बाद भी लॉक कहता है कि यह असुविधाजनक हो गई। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में

Ajanta Officer
Scanned with CamScanner

तीन अभाव थे - (i) ~~प्राकृतिक~~ सामान्य कानूनों का अभाव
(ii) व्यवस्थित न्यायपालिका का अभाव तथा
(iii) निरपेक्ष न्यायाधिकारी का अभाव।

अतः उपरोक्त अभाव में प्राकृतिक नियमों तथा प्राकृतिक अधिकारों के पालन में कठिनाइयाँ होती थी। अतः प्राकृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की स्थापना करनी पड़ी।

लॉक के अनुसार दो अनुबन्ध हुए। प्रथम समझौता के द्वारा राज्य की स्थापना होती है और द्वितीय समझौता के द्वारा सरकार की। सरकार एक गौण सत्ता है। सरकार वह है, जिसे राज्य अपने कार्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए निर्मित करता है। लॉक के अनुसार महत्ता की दृष्टि से सबसे पहले व्यक्ति है, इसके बाद राज्य का स्थान आता है और सबसे अन्त में सरकार का। लॉक का राज्य भी गौण है। लोगों ने राज्य की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य से की है लॉक के ही शब्दों में "The reason why men enter in to society is the preservation of their property." लॉक का मानना है कि समझौते के द्वारा व्यक्ति अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों का ही परित्याग करता है, सभी प्राकृतिक अधिकारों का नहीं। लोग ही समझौता के द्वारा व्यक्ति अपना अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं, समस्त जन समुदाय को सौंपता है। इस प्रकार जहाँ तक समझौते की शर्तों का सम्बन्ध है, लॉक का दृष्टिकोण वास्तव में एक उदारवादी का दृष्टिकोण है। हॉब्स की तरह निरंकुशतावादी नहीं।

समझौते के फलस्वरूप सरकार के निर्माण के प्रश्न पर भी लॉक एक उदारवादी के रूप में अपने विचारों को रखता है। लॉक ने सरकार को न्यास के रूप में योजित कर बताया है कि अंतिम शक्ति सदा जनता में निहित है। यदि सरकार इसका पालन नहीं

Scanned with CamScanner

नहीं करे तो जनता सरकार को समाप्त कर सकती है Vaughan ने ठीक ही कहा है "Everything in Locke's system revolves round the individual, everything is disposed so as to ensure the sovereignty of the individual"

लॉक का राज्य एक संविदात्मक राज्य है। उसकी मान्यता है कि जहाँ कानून का शासन नहीं होता, वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता ठीक नहीं रह सकती। अतः Locke का राज्य सीमित और मर्यादित है, असीम और निरंकुश नहीं। ये सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

(i) जनता ही राज्य की शक्तियों का स्रोत है
(ii) राज्य की शक्तियाँ कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाती हैं।
(iii) राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो प्राकृतिक कानून के विपरीत हो तथा
(iv) वह नागरिक की सम्पत्ति का अपहरण नहीं कर सकता।

लॉक का राज्य 'Tolerant' (सहिष्णु) है। इसमें प्रकार के मतभेद रह सकते हैं। अतः कहा जाता है कि स्वतंत्रता, अधिकार और संविधानवाद के अतिरिक्त लॉक का राज्य बहुत महत्वपूर्ण योगदान 'सहिष्णुता' के सम्बन्ध में है। 17वीं शताब्दी के धार्मिक संघर्ष के संदर्भ में लॉक अत्यन्त ही उदार था।

Locke व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता के विभाजन पर जोर देता है। लॉक की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन है। व्यवस्थापिका जो चाहे अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है तो जनता उसे अपदस्थ कर सकती है।

लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक था और इन अधिकारों में वह सम्पत्ति के अधिकार को सर्वोच्च स्थान देता है। राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य ही सम्पत्ति की रक्षा है। धनियों की सम्पत्ति सहमति के बिना सर्वोच्च शक्ति भी किसी की सम्पत्ति नहीं ले सकती।

शासन द्वारा सम्पत्ति के नियंत्रण में व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है।

लॉक अपने विचारों में इस कदर उदारवादी हैं कि वह विद्रोह करने का भी अधिकार स्पष्टतः जनता को दे देता है। उसी के अनुसार -
(i) यदि शासन जनता की सहमति पर आधारित नहीं हो,
(ii) यदि वह जनता का विश्वास खो दे,
(iii) यदि वह 'ट्रस्ट' के शर्तों के विरुद्ध आचरण करे,
(iv) यदि वह जनता के जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करे, (v) यदि वह स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश हो,
(vi) यदि वह देश के नागरिकों को विदेशी सत्ता के गुलाम बनाने का प्रयत्न करे तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना जनता का अधिकार ही नहीं, एक परम कर्तव्य भी है।

इस प्रकार मानव-स्वभाव के चित्रण से लेकर राज्य के चित्रण तक लॉक अपना जो भी विचार पेश करता है, वह उदारवाद के तत्वों से परिपूर्ण है लेकिन कुछ ऐसी बातें, जैसे, नारियों तथा निर्धनों को नागरिकता से वंचित करना, जो प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। उसका यह भी मानना कि व्यक्ति अपने निजी निर्णय की उपेक्षा करे कि वह बहुमत उसके विरुद्ध है। स्पष्ट है कि लॉक स्वतंत्रता का समर्थक तो करता है, परन्तु समानता का नहीं। Waper ने ठीक ही लिखा है कि "Locke, moreover, though a great fighter for liberty, was too disinterested in equality."

इन त्रुटियों के बावजूद भी Locke को एक उदारवादी मानना ही होगा। जनतंत्र की दुनिया में उसका नाम सदा अमर रहेगा। राज्यसत्ता, सहमति पर आधारित रह सकती है, ऐसी घोषणा कर उसने दण्डवाद, साम्राज्यवाद एवं निरंकुश शासन का कड़ा विरोध किया। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीनस्थ रहना पड़ेगा, ऐसी घोषणा कर उसने सीमित एवं संवैधानिक शासन पर पूरा बल दिया। अतएव यह कहना गलत न होगा कि Locke अपने युग में सबसे बड़ा उदारवादी था।

Scanned with CamScanner